**मध्य प्रदेश शासन**
**गृह विभाग,**
**मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल**

क्रमांक 3584 /6051/2016/बी–4/दो, भोपाल,दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

प्रति,

1. महानिदेशक,
होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय

2. संचालक,
लोक अभियोजन
मध्यप्रदेश

3. संचालक,
मेडिको लीगल संस्थान
मध्यप्रदेश

विषय :– सेवानिवृत्त शासकीय सेवक/मृत शासकीय सेवक के पेंशन प्रकरणों का सामयिक निराकरण एवं पूर्वानुमति तथा अंतरिम पेंशन का भुगतान के संबंध में।

----000----

वित्त विभाग द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक/मृत शासकीय सेवक पेंशन प्रकरणों का सामयिक निराकरण एवं पूर्वानुमति तथा अंतरिम पेंशन का भुगतान के संबंध में परिपत्र क्रमांक एफ/9–10/2016/नियम/चार दिनांक 10 अक्टूबर 2016 एवं परिपत्र क्रमांक एफ/9–10/2016/नियम/चार दिनांक 10.10.2016 जारी किए गए है, जिनकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
02 परिपत्र

( श्रीदास )
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,गृह विभाग

पंजी क्रमांक 60
दिनांक 19/10
गृह विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन- मंत्रालय, भोपाल

क्र./F 9-10/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक : 10 अक्टूबर, 2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन ।

विषय :-सेवानिवृत्त शासकीय सेवक/मृत शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का सामयिक निराकरण।

संदर्भ :-म.प्र.शासन वित्त विभाग का पत्र कमांक एफ 2015/नियम/नियम/चार भोपाल दिनांक 29.06.2015.

---00---

म.प्र.सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पूर्व पेंशन प्रकरणों के सामयिक निराकरण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग/कार्यालय की हैं। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं।

2/ उपर्युक्त के उपरांत भी यह देखने में आया हैं कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति उपरांत भी पेंशन प्रकरणो का निराकरण नहीं हो रहा हैं। आपके विभाग से संबंधित पेंशन प्रकरण अभी भी विभागीय अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित हैं (सूची संलग्न)।

3/ उपर्युक्त लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करने पर कुल लंबित पेंशन प्रकरणों में से 50% अन्य कारणों से, 25% प्रतिशत न्यायालयीन प्रकरण, 11% विभागीय जांच के कारण लंबित हैं । इसके अलावा 6% शासन स्तर पर तथा 2% लोकायुक्त संबंधी प्रकरण लंबित है । इस प्रकार कुल 94% प्रकरण विभिन्न कारणों से विभाग स्तर पर लंबित हैं ।

अनुरोध है कि लंबित पेंशन प्रकरणों की नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर की जावें, ताकि प्रत्येक शासकीय सेवक/मृत शासकीय सेवक को सामयिक रूप से पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हो सके ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुखर्जी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

...2..

पृ. क्र./ F 9-10 /2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक : 10 अक्टूबर,, 2016

प्रतिलिपिः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त कलेक्टर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल

पत्र क्रमांक 602
दिनांक 19/10
गृह विभाग (शाखा बी-4)

क्र. एफ 9-10/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10-10-16

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

विषय:-पूर्वानुमानित (Anticipatory Pension) तथा अंतरिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान के संबंध में।

---00---

सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त स्वत्वों के भुगतान में विलम्ब के प्रकरण अभी भी संज्ञान में आ रहे हैं। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक परिपेक्ष्य में उपयुक्त है, अपितु शासन के कल्याणकारी उद्देश्यों को भी असफल करती है।

2/ राज्य शासन का यह सदैव प्रयास रहा है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त स्वत्वों का सामयिक भुगतान सुनिश्चित हो। इस संबंध में म.प्र.सिविल सेवायें (पेंशन) नियम–1976 के नियम 74 की ओर ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता हैं, जिसके अनुसार पेंशन देय होने की तिथि के 15 दिवस पूर्व पेंशन आदेश प्राप्त नहीं होने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों में पेंशन देय होने वाले माह की पहली तारीख से पूर्वानुमानित पेंशन स्वीकृत कर उसका संवितरण किया जाना तथा पेंशन नियम 64 के अंतर्गत विभागीय जांच/ लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/न्यायालयीन प्रकरण संबंधी कार्यवाही लंबित होने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा अंतरिम पेंशन स्वीकृत की जानी चाहिए । वर्णित नियम की टिप्पणी में यह भी उल्लेखित हैं, कि अंतरिम पेंशन की मन्जूरी आज्ञापक (Mandatory) है, भले ही विभागीय जांच या न्यायालयीन कार्यवाहियां चालू हों। इन सुस्पष्ट नियमों के उपरांत भी पूर्वानुमानित/ अंतरिम पेंशन का भुगतान नियमानुसार नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

3/ अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों को उपरोक्त नियमों/प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पूर्वानुमानित/अंतरिम पेंशन का नियमानुसार भुगतान किये जाने के लिए आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुखर्जी)
सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

..2..

9-10/16

क्र. /2016/ इति/ चार  भोपाल, दिनांक 10/10/2016

प्रतिलिपि –

1. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त कलेक्टर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/1–13/ 15030 /वित्त(6)/पेंशन/2015–16  जबलपुर दिनांक 26-12-16

प्रतिलिपिः–

1– कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड मंगेली जबलपुर ।
2– समस्त डिवीजनल कमाण्डेन्ट होमगार्ड मध्यप्रदेश ।
3– समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड मध्यप्रदेश ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया शासन व्दारा जारी निर्देशों का समुचित रूप से पालन सुनिशचित करें ।

(प्रीतिबाला सिंह)
सीनियर स्टाफ आफीसर,
कृते डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड मध्यप्रदेश

**आन्तरिक**

पी0एस0टू0डी0जी0
पी0ए0टू0ए0डी0जी0
पी0ए0टू0आई0जी0
पी0ए0टू0 ए0सी0जी0
एस0एस0ओ0(स्था0/प्रशि0/वित्त)
क्वाटर मास्टर/जे0एस0ओ0(स्था0/प्रशि0)
कार्यालय अधीक्षक (स्था0/वित्त)
सहा0कार्या0 अधीक्षक (स्था0/वित्त)
सीनियर आडीटर/स्था0शा01–बी/ स्था0 शा0(2)(3)
स्था0–4कार्या0 प्र0शा0/गो0शा0(1)(2)(3)

05 F